रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1994/चैत्र 22, 1916
No. 11] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1994/CHAITRA 22, 1916

भारतीय मानक ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1994

सं. भा.मा. ब्यूरो/का.म./विनियम/3—भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन एवं शर्तें) संशोधन विनियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवाओं के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 1988 के विनियम 9 के उपविनियम 5 का परन्तुक हटा दिया जाए।

पाद टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना सा.का.नि. सं. 34 (ई), दिनांक 15 जनवरी, 1988 के द्वारा प्रकाशित की गयी थी और बाद में उसमें सा.का.नि. सं. 1033 (ई), दिनांक 26 अक्तूबर 1988, सा.का.नि.सं. 598(ई), दिनांक 25 जून, 1988 सा.का.नि. सं. 724 (ई), दिनांक 22 अगस्त, 1990 सा.का.नि. सं. 808(ई), दिनांक 1 सितम्बर, 1990 सा.का.नि. 204 (ई), दिनांक 5 अप्रैल, 1991 सा.का.नि. सं. 911 (ई), दिनांक 4 दिसम्बर, 1992 तथा सा.का.नि. सं. 552 (ई), दिनांक 13 अगस्त 1993 द्वारा संशोधन किये गये।

एन. एस. चौधरी, महानिदेशक

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1994

No. BIS|EC|REG|3.—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees Regulations, 1988, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Amendment Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations 1988, in regulation 9, in sub-regulation (5) the proviso shall be omitted.

Foot Note :—The principal notification was published vide GSR No. 34(E) dated the 15th January, 1988, and subsequently amended vide GSR No. 1033(E) dated 26th October, 1988, GSR No. 598(E) dated 25th June, 1988, GSR No. 724(E) dated 22nd August, 1990, GSR No. 808(E) dated 1st September, 1990, GSR No. 204(E) dated 5th April, 1991, GSR No. 911(E) dated 4th December, 1992 and GSR No. 552(E) dated 13th August, 1993.

N. S. CHOUDHARY, Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994